BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 771/2019

Laxman, Sarv Adivasi Samaj,

Versus

State of Madhya Pradesh

REPLY ON BEHALF OF M.P. Pollution Control Board (MPPCB)

The Madhya Pradesh Pollution Control Board respectfully submits its reply in pursuance to the following directions given by the Hon'ble tribunal vide its order dated 18.09.2019 :-

Hon'ble NGT Order dated 18.09.2019

"Grievance in this letter, which has been treated as an application, is against illegal operation of ready mix plant and Stone Crusher in Village- Dhulkot, District- Burhanpur, Tehsil- Nepanagar, Madhya Pradesh.

Let the Madhya Pradesh State PCB look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter with in 02 months by e-mail at judicial-ngt@gov.in ."

1. That, in compliance of the above directions given by the Hon'ble Tribunal, Member Secretary, M. P. Pollution Control Board, Bhopal vide its order no. 1230 dated 01.10.2019 directed Regional Officer Indore to find out the actual facts & submit action taken report. Regional Officer MPPCB at Indore, vide its order no. 2970 dated 05.10.2019, constituted an inspection team comprising of

officers namely (1) Dr. D.K. Wagela, Lab Incharge, Regional Lab, M.P. Pollution Control Board, Indore, (2) Mr. K.P. Soni, Executive Engineer, Regional Office, M.P. Pollution Control Board, Indore and (3) Mr. S.N. Patil, Chief Chemist, Regional Office, M.P. Pollution Control Board, Indore, M.P. to inspect the site and submit the report as directed by this Hon'ble Tribunal **(Annexure R-1)**. This team visited the site on 07.11.2019. The joint inspection report, covering the reply of all the directions given by this Hon'ble Tribunal, is enclosed as **Annexure R-2**:

2. That, Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to take the aforesaid reply on record.

Date: 14.11.2019

Place: Indore

Submitted by:-
M.P. Pollution Control Board

Through Officer in Charge
[S.N. Patil]
Chief Chemist, MPPCB, Indore

Annexure – R-1

क्षेत्रीय कार्यालय

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

स्कीम न. 78/सी, पार्ट 2, अरण्य, विजयनगर, इन्दौर–452010 (म.प्र.)

फोन : 0731 2555436; e-mail: romppcb_indore@rediffmail.com

क0 /राहअ./19 इन्दौर, दिनांक

कार्यालय आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 771/2019 (श्री लक्ष्मण केल्दे सर्वआदिवासी समाज विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में दिनांक 18.9.2019 को आदेश जारी किये गये हैं, छाया प्रति संलग्नक–1 के अनुसार है। प्रकरण में बिन्दुवार जॉच एवं कार्यवाही करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों का दल गठित किया जाता है:–

1. डॉ.डी.के.वागेला, मुख्य रसायनज्ञ सह प्रयोगशाला प्रभारी
2. श्री के.पी.सोनी, कार्यपालन यंत्री
3. श्री एस.एन.पाटिल, मुख्य रसायनज्ञ एवं प्रभारी अधिकारी बुरहानपुर

उपरोक्त अधिकारियों के दल द्वारा माननीय हरित अधिकरण द्वारा जारी आदेश के पालनार्थ 15 दिवस के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जावेगी । खनिज विभाग से संबंधित बिन्दुओं हेतु खनिज अधिकारी बुरहानपुर को प्रभारी अधिकारी द्वारा अपने स्तर से शामिल करने हेतु सूचनापत्र भेजा जावेगा ।

(आर.के.गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर

पृ. क0 2970/राहअ./19 इन्दौर, दिनांक 05/10/19

प्रतिलिपि,

1. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर उनके पत्र क. 1230 /विधि/एनजीटी/भोपाल दिनांक 1.10.2019 के संबंध में सूचनार्थ अग्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में प्रभारी अधिकारी, श्री एस.एन.पाटिल, मुख्य रसायनज्ञ एवं जिला प्रभारी बुरहानपुर, को नियुक्त किया गया है । मुख्यालय स्तर से औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें ।
2. श्री एस.एन.पाटिल, मुख्य रसायनज्ञ एवं जिला प्रभारी बुरहानुपर की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दल द्वारा प्रस्तुत एक्शन टेकन रिपोर्ट माननीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आपको प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है । कृपया समय–सीमा में एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने का कष्ट करें ।
3. डॉ.डी.के.वागेला, मुख्य रसायनज्ञ, की ओर सूचनार्थ लेख है कि प्रकरण में नियमानुसार जॉच के दौरान वायु मॉनिटरिंग का कार्य भी किया जावे ।
4. श्री के.पी.सोनी, कार्यपालन यंत्री एवं प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय,म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ

(आर.के.गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर

NGT-15

Annexure- R-2

Regional Office
M P Pollution Control Board
Sch. No. 78/C, Part II, Aranya, Vijay Nagar, Indore-452010 (MP)
Phone: 0731 2554337; e-mail: regional.labindore@yahoo.com

Joint Inspection Report in Compliance of directions issued by Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 771/2019

1. Order passed by Hon'ble NGT in case no. 771/2019 :

Hon'ble NGT Order dated 18.09.2019

"Grievance in this letter, which has been treated as an application, is against illegal operation of ready mix plant and Stone Crusher in Village-Dhulkot, District- Burhanpur, Tehsil- Nepanagar, Madhya Pradesh.

Let the Madhya Pradesh State PCB look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter with in 02 months by e-mail at judicial-ngt@gov.in ."

2. Action Taken Report :

That, in compliance of the above directions given by the Hon'ble Tribunal, Member Secretary, M. P. Pollution Control Board, Bhopal vide its order no. 1230 dated 01.10.2019 directed Regional Officer Indore to find out the actual facts & submit action taken report. Regional Officer MPPCB at Indore, vide its order no. 2970 dated 05.10.2019, constituted an inspection team comprising of officers namely (1) Dr. D.K. Wagela, Lab Incharge, Regional Lab, M.P. Pollution Control Board, Indore, (2) Mr. K.P. Soni, Executive Engineer, Regional Office, M.P. Pollution Control Board, Indore and (3) Mr. S.N. Patil, Chief Chemist, Regional Office, M.P. Pollution Control Board, Indore, M.P, to inspect the site and submit the report as directed by this Hon'ble Tribunal. This team visited the site on 07.11.2019. The joint inspection report is submitted here in below.

3. Inspection Report :

Shri Laxman Kelde, the petitioner submitted a complaint before this Hon'ble Tribunal, against M/s. Raghu Developers, the road contractor at gram-Dhulkot, Tehsil-Nepanagar, District-Burhanpur about installation of Ready mix plant in residential area and causing Air pollution,. Also in this complaint, the complainant mentioned about the pollution caused by stone crusher & mine, installed by M/s. Raghu Developers at village-Suktakhurd, Tehsil-Nepanagar, District-Burhanpur. The team inspected both the plants namely RMC Plant at Village-Dhulkot and Mine and Crusher Plant at Village-Suktakhurd on dated 07-11-2019.

4. Inspection Report : Ready mix Plant (RMC)

1. M/s. Raghu Developers has installed RMC Plant at Gram-Dhulkot, Tehsil-Nepanagar, District-Burhanpur.
2. There are Govt. Girls High School, Dhulkot and a Govt. Boys Residential Hostel at a distance of about 60 meters and 90 meters from the boundary of the RMC plant respectively.
3. The Capacity of RMC plant is 60 Cubic Meter/hour. The ready mix concrete is made using cement, metal stone and sand along with water.
4. During the process of manufacturing the possibility of fugitive dust emission is there. Also the vehicles which are used to transport raw materials and products cause air and noise pollution in the nearby area as the approach road is kaccha.
5. The project proponent (PP) did not obtain the consent of the Board U/s 21 of Air (Prevention and Control) Act 1981 and U/s 25 of Water (Prevention and Control) Act 1974. A Complaint against above unit was received from Shri Suyash, Sarva Adiwasi Samaj, Khandwa on 03-01-2019 regarding Air/Noise Pollution cause by RMC Plant.
6. An inspection was carried out by the Board and the complaint was found to be true. Board issued show cause notice to PP for closure of RMC Plant, U/s 31 A of Air Act 1981 and U/s 33 of Water act 1974 on 15-01-2019. PP did not submit its reply hence; Board issued closure direction to the industry on 27-03-2019 with direction to Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidut Vitran Company Limited (MPPKVVCL) Burhanpur to disconnect

the electricity of the RMC Plant. The copy of closure direction is enclosed as **Annexure-1**. MPPKVVCL Burhanpur disconnected the electricity of the industry in compliance of above directions and intimated the same vide letter dated 22-10-2019. The copy of above letter of MPPKVVCL is enclosed as **Annexure-2**.

7. During inspection, the RMC Plant was found closed. The Principal of Govt. Girls High School, Dhulkot informed that there is problem of Noise & Dust pollution from above RMC plant. The principle submitted a complaint to the team vide dated 07-11-2019. The copy of the same is enclosed as **Annexure-3**.
8. At present the RMC Plant is closed as per action taken by M.P. Pollution Control Board as mentioned here in above. Hence, no further action is pending to be taken against industry.
9. The Panchnama made at the time of inspection is enclosed as **Annexure-4**.
10. The site location map of the RMC plant is enclosed as **Annexure-5**

5. Inspection Report :- M/s Raghu Develpers (Mine & Crusher)

A : General Information			
1	**Name of Unit**	M/s Raghu Develpers, (Mine & Crusher), Gram-Suktakhurd, Nepanagar, District-Burhanpur)	
2	**Location of Crusher**	Khasra No. 97/3, Village-Suktakhurd, Tehsil-Nepanagar, District-Burhanpur. Location Map-**Annexure-6**	
2	**Date of Inspection**	07/11/2019	
3	**Name of the proprietor/ contact person** **Designation** **Contact No.**	Shri Kailash Raghuvanshi, Propritor, M/s. Raghu Developers, 942531528	
4	**Product name and quantity (As per consent)**	**Product Name**	**Production Capacity**
		Mining of Stone & Crushing	24108 Cum/Year

5	**Consent Status**	Stone Crusher : Air/Water consent granted vide letter dated 28-03-2019	Mine : Air/Water consent granted vide letter dated 28-03-2019
6	**Compliance of main Consent Conditions in Stone Crusher and Mine**		
(1)	The unit shall install appropriate air pollution control measures and shall keep all this in running condition to maintain SPM 600 Microgram/Cubic meter measured between 03 meters to 10 meters from any process equipments.		Proper Air Pollution Control measures not found installed, thus not complied. The mine was found full of rain water, hence production found closed. Due to non availability of raw materials, the stone crusher was also closed. Air quality monitoring could not be done.
(2)	The unit shall have to install air pollution control measures as per the standards notified in E (P) Act 1986 for stone crushers.		In Stone Crusher the proper screen cover, wind breaking wall, adequate water sprinkling arrangement not found.
(3)	The unit shall undertake plantation work in and around the industry for general improvement of environmental conditions.		About 60 Plants.
(4)	The Industry/Unit shall make the necessary arrangements for control of fugitive emission from any source of emission/section/activities.		Not Complied.
(5)	All the internal roads shall be made pakka to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements.		Not Complied.
(6)	Industry shall make arrangement of boundary/wire fencing all around of mining (Quarry) area before production.		The fencing around the boundary of mining area is complete.

(7)	The Industry/Unit shall make the necessary arrangements for control of fugitive emission from any source of emission/section/activities.	Not Complied.
(8)	All the internal roads shall be made pakka to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements.	Not Complied.

7. OBSERVATIONS & FINDINGS :

1. As stated here in above, the stone crushing machine and the mining activity was found closed during inspection owing to rain water accumulation in the mine area and non availability of raw materials. The representative of the industry informed that the crusher was closed for last 04 months due to rains.
2. The MPPCB, District in charge Officer, Burhanpur inspected the site on 16-10-2019 and observed that industry has not installed adequate Air Pollution Control measures and also not complied the consent conditions. Accordingly MPPCB, Indore issued Show Cause Notice vide dated 21-10-2019 U/s 31 A of Air Act 1981 and U/s 33 of Water act 1974 to Crusher and Mine unit both.
3. PP submitted its reply vide dated 31-10-2019 in which the deficiencies in the pollution control measures accepted.
4. The team of the Board visited the crusher and mine area on 07-11-2019 and observed the compliance of consent conditions as mentioned in point no. 6.
5. The team found that the stone crusher and mining activities are closed due to rain water filled in mine and non availability of raw materials. However, team observed that the industry has not installed adequate Air pollution control measures in the crusher. Also a sand plant has been installed without prior permission of the Board and the same is not having proper water pollution control measures. Hence, team of the RO, MPPCB recommended that the closure direction U/s 31 A of Air Act 1981 and U/s 33 A of Water act 1974 be issued.
6. Thus on above recommendation, RO, MPPCB issued closure direction to

Crusher vide dated 08-11-2019. Similar direction of Closure issued to Mine unit to remain closed and direction issued to mining officer, Burhanpur to Seize the Royalty Book of the Mining and ensure the compliance of closure direction by stopping the mining activities in the mine. The copy of closure directions as issued here in above are enclosed as **Annexure-7 and 8** respectively.

7. Complainant also mentioned in his complaint about illegal mining of Sand/Murrum by M/s Raghu Developers, along with selling of stone metal illegally without paying royalty. MPPCB, Indore had sent letter vide no. 2971 dated 05-10-2019 to Mining Officer, Burhanpur to submit his reply on this issue. The reply of Mining Officer, Burhanpur received vide letter no. 1475 dated 23-10-2019. The copy of this letter is enclosed as **Annexure-09**. Mining Officer, Burhanpur has not reported any of the irregularities of M/s Raghu Developers in his letter.
8. During inspection on 07-11-2019, Mining Inspector of Burhanpur and Secretary, Gram Panchayat-Gram-Suktakhurd was present with the team. Team took the round of the nearby area and no illegal mining etc. observed during inspection. It is pertinent to mention here that a letter was issued to complainant vide letter dated 04-11-2019 **(Annexure-10)** and also telephonic information given to him to be present during inspection, but no one came.
9. The Panchnama made at the time of inspection is enclosed as **Annexure-11.**

(S.N. Patil) **Chief Chemist** **Regional Office, MPPCB, Indore**	(K.P. Soni) **Executive Engineer** **Regional Office, MPPCB, Indore**	(Dr. D.K. Wagela) **Chief Chemist & Lab-Head** **Regional Lab, MPPCB, Indore**

Annexure - I

क्षेत्रीय कार्यालय

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

स्कीम न. 78/सी, पार्ट 2, अरण्य, विजयनगर, इन्दौर–452010 (म.प्र.)
फोन : 0731 2555436; e-mail: romppcb_indore@rediffmail.com

क्र0 1029 / क्षेकाइ/प्रनिबो/2019 इन्दौर, दिनांक 27/03/19

प्रति,

श्री कैलाश रघुवंशी, संचालक,
मेसर्स रघु डेवलपर्स,
ग्राम–धुलकूट, तहसील–नेपानगर,
जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)

विषय :– जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के अंतर्गत इकाई बंद करने के निर्देश।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र 167 दिनांक 15.01.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय के बारे में क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है :–

1. यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत किया गया है तथा बोर्ड को जल अधिनियम के साथ–साथ वायु अधिनियम 1981 को राज्य में लागू करने का दायित्व सौंपा गया है।
2. यह कि, आपकी संस्था उक्त नियमों के दायरें में आती है तथा नियमानुसार आपको जल अधिनियम की धारा 25/26 एवं वायु अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड से वैद्य सम्मति प्राप्त कर ही संस्था का संचालन करना अनिवार्य है तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक प्रदूषणरोधी संयंत्र लगाना आवश्यक है।
3. यह कि, आपके उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 12.01.2019 को किया गया। निरीक्षण में उद्योग कार्यरत पाया गया। उद्योग में आर.सी.एम. प्लांट बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बगैर संचालित किया जा रहा है जिससे प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। आपके उद्योग की सी.एम. हेल्पलाईन में शिकायत क्रं. 7568046 दिनांक 30.12.2018 प्राप्त हुई थी जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई कि आपका उद्योग बिना परमीशन के संचालित हो रहा है।
4. यह कि, आपके द्वारा पी.डब्ल्यू.डी. म.प्र. शासन का रोड़, "असीरगढ़, धोलकुट, पंधाना" का निर्माण किया जा रहा है।
5. यह कि आपके द्वारा ग्राम–धुलकूट, तहसील–नेपानगर, जिला–बुरहानुपर में उद्योग आर.सी. एम. प्लांट स्थापित कर संचालन किया जा रहा है।

उपरोक्त आधार पर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) की धारा 33–क एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) की धारा 31–क के अंतर्गत निर्देश देने के पूर्व इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 167 दिनांक 15.01.2019 द्वारा आपको सुनवाई का सुअवसर प्रदान किया गया था। उक्त नोटिस के जवाब आज पर्यन्त अप्राप्त है। अतः एतद् द्वारा बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) की धारा 33–क एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) की धारा 31–क के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं :–

1. यह कि, इकाई में तत्काल उत्पादन कार्य बंद किया जाये।
2. यह कि, संबंधित विभाग आपको प्रदायित विद्युत कनेक्शन का विच्छेदन करें।

उपरोक्तानुसार जारी आदेश की पावती भेजे व आदेशों का पालन सुनिश्चित करें। अन्यथा जल अधिनियम की धारा 41 (2) एवं वायु अधिनियम की धारा 37 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

(एस.एन. पाटिल)
मुख्य रसायनज्ञ एवं जिला–प्रभारी

(आर.के.गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर

क्र0 1030 /तक0 /2019 इन्दौर, दिनांक 27/03/19

प्रतिलिपिः–

1. सी.एम.डी., म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड़, पोलोग्राउण्ड, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधीक्षण यंत्री (ओ.एण्ड एम.), म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कपंनी लि. बुरहानपुर की ओर जल अधिनियम की धारा 33–क एवं वायु अधिनियम की धारा 31–क में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त उद्योग को प्रदायित विद्युत कनेक्शन विच्छेदन करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही की जानकारी से तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।
4. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, पी.डब्ल्यू.डी. डिवीजन, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ *अग्रेषित कर लेख है कि बोर्ड से सम्मति प्राप्त किए बगैर संचालित उक्त आर.एम.सी. प्लांट* को बंद करने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाईल।

(एस.एन. पाटिल)
मुख्य रसायनज्ञ एवं जिला–प्रभारी

(आर.के.गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर

O/C

Annexure-2

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लि.
संचा-संधा वृत्त बुरहानपुर

दूरभाष - 07325 -258675 , 255244 फैक्स - 07325 -255288
Email - se.burhanpur@gmail.com

क्र. /अ.यं/बु.वृ/राजस्व/19-20/ 4150 बुरहानपुर दिनांक 22/10/19

प्रति,

क्षेत्रिय अधिकारी
म.प्र.प्रदुषण नियत्रंण मंडल
78/सी पार्ट-2 अरण्य, विजय नगर,
इन्दौर

विषय :- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33-'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंर्तगत ईकाई बन्द करने के निर्देश।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 1030 दिनांक 27.03.2019.

---000---

उपरोक्त विषय में अवगत कराया जाता है कि, संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देशानुसार **मेसर्स रघु डेवलपर्स, ग्राम धुलकोट, जिला बुरहानपुर** का विद्युत कनेक्शन दिनांक **15.10.2019** को अस्थाई रूप से विच्छेदित किया गया है।

उपभोक्ता द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत कनेक्शन पुनः संयोजित करने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करने का कष्ट करे।

अधीक्षण यंत्री, (सं/सं)
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि बुरहानपुर

प्रतिलिपि :-

1. कार्यपालक निदेशक (इ.क्षे.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. इन्दौर।

सही
अधीक्षण यंत्री, (सं/सं)
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि बुरहानपुर

म. प्र. प्रदूषण
क्रमांक 3735
दिनांक 29/10/19

D:\Parchure Sir 20.08.18\Gen.latter Hindi-2016-17 HT CONN 23.07.18 jal prdushan.doc 28

Annexure-3

कार्यालय प्राचार्य शा० कन्या हाईस्कूल धूलकोट

प्रति

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड इन्दौर (म.प्र)

विषय:- हमारी संस्था के पास रोड प्लांट मे भारी आवागमन एवं धूल से वातावरण (संस्था) का प्रदूषित विषयक

आज दिनांक 07/11/2019 को शा० कन्या हाईस्कूल धूलकोट में म.प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जाँच दल ने जानकारी लेने पर यहां पर संस्था के आसपास ~~भारी आवागमन~~ रोड प्लांट होने से यहा भारी आवागमन का आना जाना होता रहता है और आवागमन के पास की धूल संस्था में जमा होती रहती है और वातावरण प्रदूषित होता है।

भारी आवागमन एवं धूल को रुकवाने का कष्ट करें। ताकि संस्था के आसपास का वातावरण प्रदूषित होने से बचाया जा सके। एवं छात्र/छात्राओ को ध्वनि प्रदूषण से अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है

प्राचार्य
शास. कन्या हाईस्कूल
धूलकोट

Annexure 4

पंचनामा

आज दिनांक 7-11-2019 को माननीय राष्ट्रीय हरित-अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के प्रकरण क्र० 771/2019 द्वारा दिनांक 18·9·2019 को पारित आदेश के पालनार्थ गठित दल - म·प्र·प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन्दौर एवं खनिज विभाग बुरहानपुर द्वारा संयुक्त जाँच की गई जाँच दौरान ग्राम धूलकोट तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर मे स्थापित आर एम सी प्लांट (रेडी मिक्स कान्क्रीट प्लांट) का निरीक्षण किया गया जाँच मे आर·एम सी· प्लांट निरीक्षण दिवस दिनांक 7-11-19 को बन्द पाया गया है। तथा उपस्थित श्री कैलास रघुवंशी, ठेकेदार, श्री जसवत सिंह चौहान सचिव ग्राम पंचायत धूलकोट उपस्थित रहे पंचनामा लिखा पढ़ा सोचा समझा सो हस्ताक्षर किया।

नाम एवं पता हस्ताक्षर

(1) जसवंत सिंह चौहान [signature] 7/11/019 9399564021

(2) सतीश नागले (M. I. Burhanpur) [signature]

(3) कैलाश रघुवंशी Prop Raghudevelopers 9425431528 [signature]

(4) प्रकाश पटेल (खुश अधर) ह्यौरो चौक बुरहानपुर

(5) डॉ. दिलीप वागेला 9827233136 8719992929

(6) के.पी.सोनी (E.E., MPPCB Indore) [signature] 7/11/19.

(7) एस एन पाटिल मुख्य रसायनज्ञ MPPCB Indore [signature] - 9425135095 [signature] 9993249890

Annexure -5

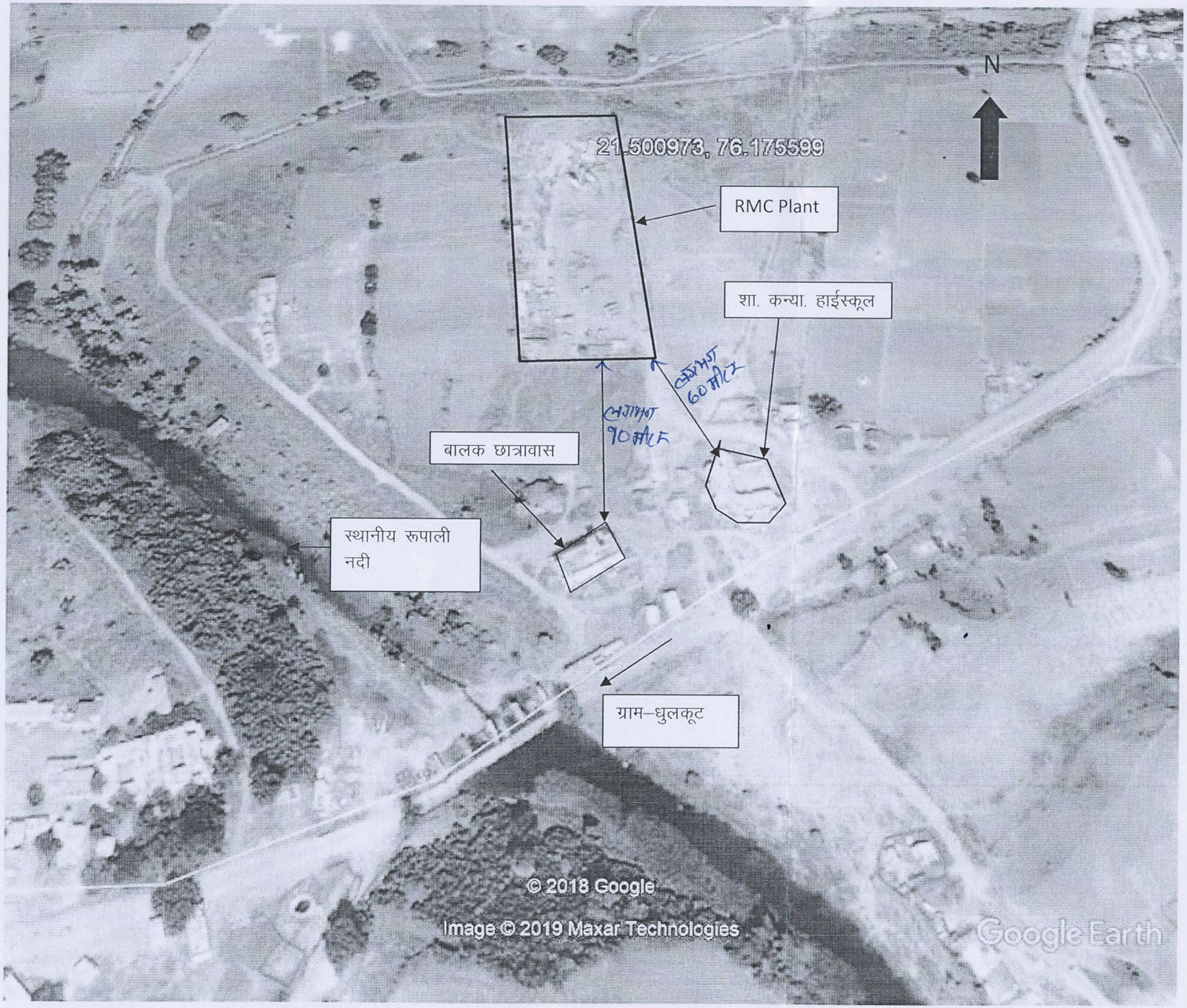

N
21.500973, 76.175599
RMC Plant
शा. कन्या. हाईस्कूल
लगभग 60 मीटर
लगभग 90 मीटर
बालक छात्रावास
स्थानीय रूपाली नदी
ग्राम–धुलकूट
© 2018 Google
Image © 2019 Maxar Technologies
Google Earth

Annexure 6

क्र. 1

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

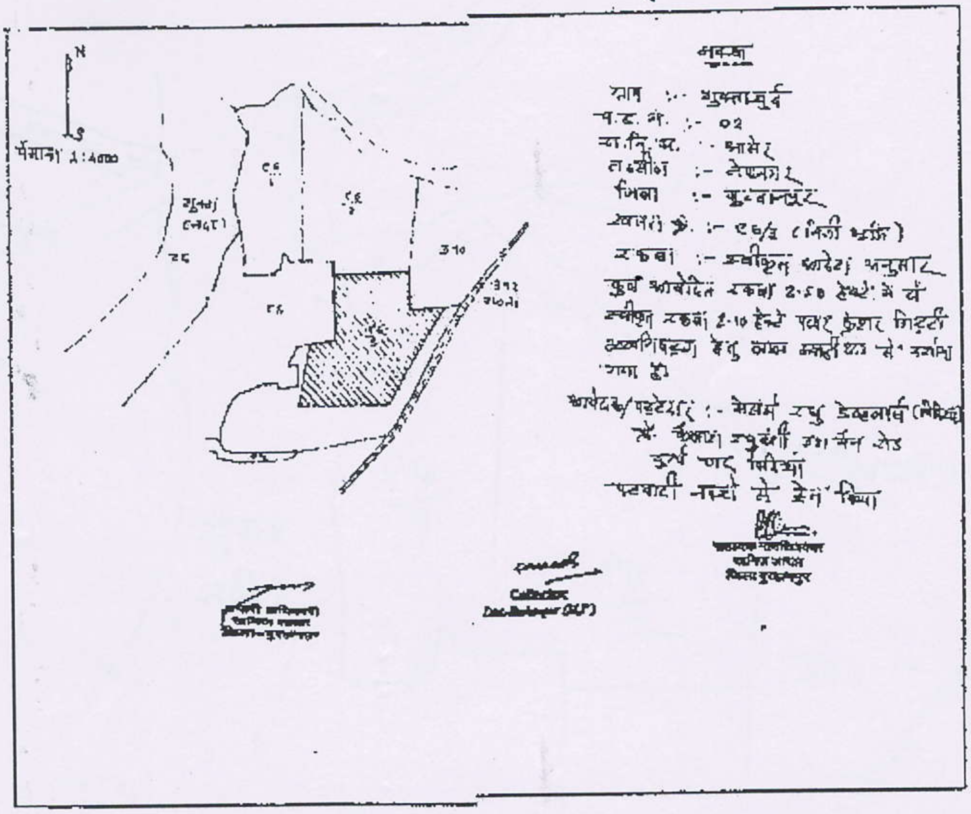

Seal of The Sub Register Burhanpur Dist.
उप पंजीयक बुरहानपुर जिला बुरहानपुर म.प्र.
DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS

A. Site / Layout Plan Uploaded in XGN on 11/12/2018 19:38:38 from IP No: 27.97.159.186
B. 117811-Raghu Developers - (Stone Crusher) Deiaa - Burhanpur (Proprietor-Kailash Ra accept
and undertakes that the furnished information is CORRECT & ACCURATE.

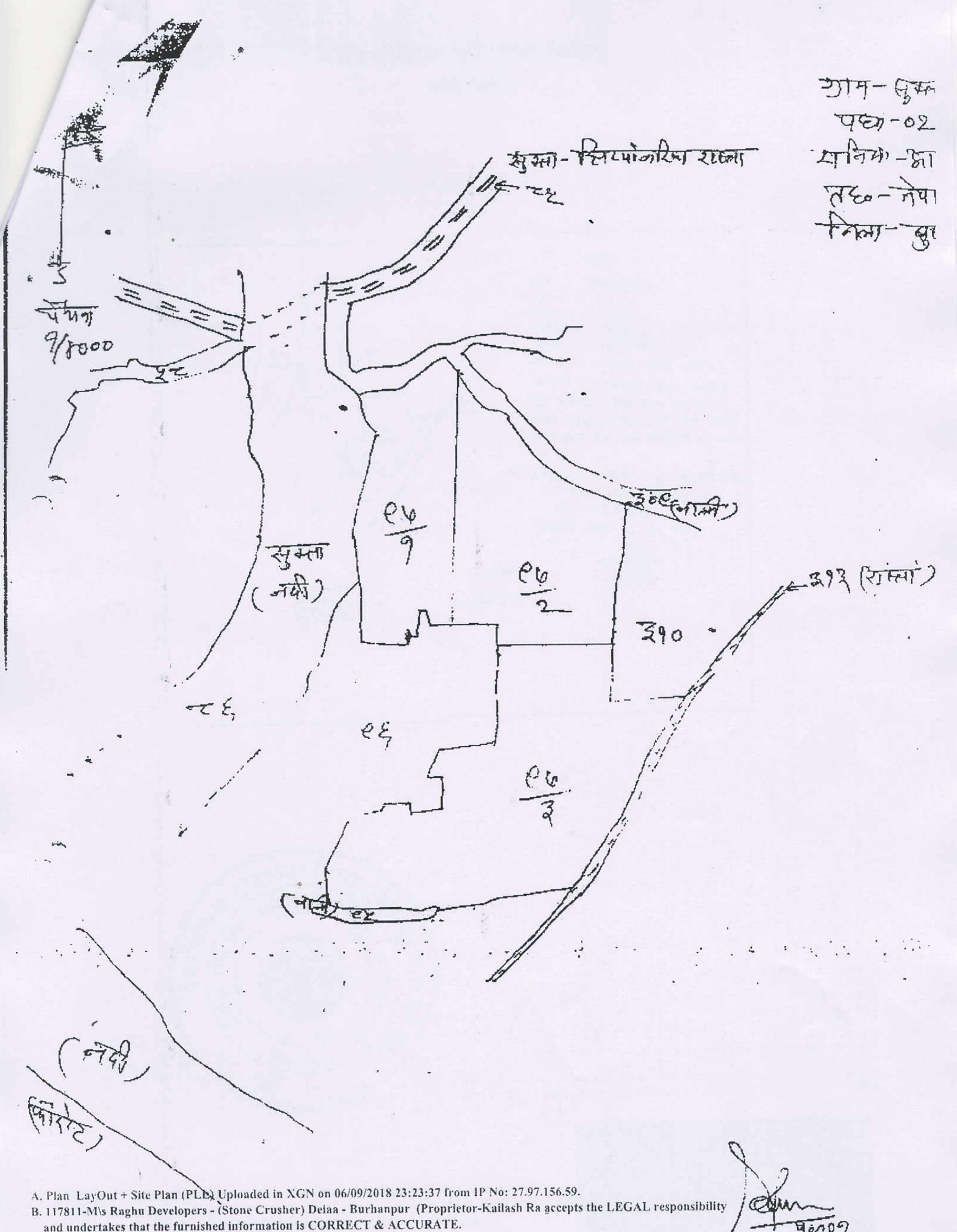

A. Plan LayOut + Site Plan (PLL) Uploaded in XGN on 06/09/2018 23:23:37 from IP No: 27.97.156.59.
B. 117811-M\s Raghu Developers - (Stone Crusher) Deiaa - Burhanpur (Proprietor-Kailash Ra accepts the LEGAL responsibility and undertakes that the furnished information is CORRECT & ACCURATE.

Annexure 7&8

क्षेत्रीय कार्यालय

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

स्कीम न. 78/सी, पार्ट 2, अरण्य, विजयनगर, इन्दौर–452010 (म.प्र.)

फोन : 0731 2555436; e-mail: romppcb_indore@rediffmail.com

क्र0 3216 /तक.शा./19 इन्दौर, दिनांक 08/11/19

प्रति,

1. श्री कैलाश रघुवंशी, संचालक,
   मेसर्स रघु डेवलपर्स (माईन),
   खसरा नं. 97/3, ग्राम–सुक्ताखुर्द, तहसील–नेपानगर,
   जिला–बुरहानपुर
2. श्री कैलाश रघुवंशी, संचालक,
   मेसर्स रघु डेवलपर्स (माईन),
   निवासी मैन रोड़, दुर्गा नगर, विदिशा, जिला–विदिशा (म.प्र.)

विषय :– **जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 की धारा 33–क एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31–क के अंतर्गत निर्देश।**

संदर्भ :– **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित शिकायत पिटिशन कं. 771/19** एवं इस कार्यालय का पत्र कमांक 3082 दिनांक 21.10.2019 तथा आपका पत्र दिनांक 31.10.2019

उपरोक्त विषय के बारे में क्षेत्रीय कार्यालय, म0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन्दौर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है :–

1. यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत किया गया है तथा बोर्ड को जल अधिनियम के साथ–साथ वायु अधिनियम 1981 को राज्य में लागू करने का दायित्व सौंपा गया है।
2. यह कि, उद्योग को खसरा कं. 97/3 ग्राम–सुक्ताखुर्द में बोल्डर उत्खनन हेतु, वायु अधिनियम 1981 की धारा 21 एवं जल अधिनियम 1974 की धारा 25/26 के अंतर्गत कॉमन कन्सेंट दिनांक 28.03.2019 को जारी की गई। इस सम्मति पत्र में अन्य शर्तों के साथ निम्नानुसार प्रमुख शर्तें रखी गई :–
   (1) Industry shall take effective steps for extensive tree plantation.
   (2) Industry shall make arrangement of boundary/wire fencing all around of mining (Quarry) area before production.
   (3) Ambient Air Quality at the boundary of the unit premise shall be monitored and reported regularly. The Ambient Air quality norms for particulate matter (PM10) shall be maintained 100 Microgram/Cubic meter.
   (4) The Industry/Unit shall make the necessary arrangements for control of fugitive emission from any source of emission/section/activities.
   (5) All the internal roads shall be made pakka to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements.
3. यह कि संदर्भित शिकायत के संबंध में उद्योग का निरीक्षण बोर्ड के अधिकारी द्वारा दिनांक 16.10.2019 को किया गया तथा माईन उद्योग में निम्नानुसार जल एवं वायु सम्मति शर्तो का उल्लंघन पाया गया :–
   (1) खदान क्षेत्र के मार्गों में जल छिड़काव हेतु कोई व्यवस्था नहीं पाई गई।

Annexure 7/8

(2) सम्मति शर्तो के अनुसार खदान क्षेत्र के चारो ओर बाउण्ड्री/वायर फेन्सिंग का कार्य पूर्ण नही होना पाया गया।

(3) उपरोक्तानुसार शर्त कमांक 4 एवं 5 का पालन होना भी नहीं पाया गया।

(4) यह कि खदान से संबंद्ध स्टोन केशर में वायु प्रदूषण नियंत्रण की उपयुक्त व्यवस्थाऐं नही पाई गई तथा अवैद्य रूप से सेंड प्लांट की स्थापना होना पाया गया।

4. यह कि, उपरोक्त आधार पर आपको नियमानुसार संदर्भित पत्र दिनांक 21.10.2019 द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। आपका संदर्भित जवाब दिनांक 31.10.2019 प्राप्त हुआ। पत्र में आपने खदान एवं स्टोन केशर 15 जून 2019 से बंद होना सूचित किया है परन्तु सम्मति शर्तो के पालन के संबंध में संतोषजनक जवाब नही दिया गया है।
5. पुनः आपके उद्योग स्थल का निरीक्षण आपकी उपस्थिति में दिनांक 07.11.2019 को बोर्ड के 03 सदस्यीय दल द्वारा किया गया व खदान में जल/वायु सम्मति शर्तो का उल्लंघन पाया गया।

उपरोक्तानुसार बोर्ड अधिकारियों द्वारा दिनांक 07.11.2019 को की गई स्थल जांच के आधार पर आपका जवाब दिनांक 31.10.2019 विधि द्वारा बनाए गए मानदण्डों के पालन हेतु उपयुक्त नही पाया गया तथा उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में आपके द्वारा जल/वायु सम्मति शर्तो का उल्लंघन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में एतद् द्वारा बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) की धारा 31–क एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) की धारा 33–क के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :–

1. यह कि, खदान में निरंतर उत्खनन कार्य बंद रखा जावे।
2. जिला खनिज अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, बुरहानपुर द्वारा उत्खनि लीज में उत्पादन कार्य बंद कराया जावे एवं आपको प्रदत्त रॉयल्टी बुक जप्त कर ली जावे।

उपरोक्तानुसार जारी आदेश की पावती भेजे व आदेशों का पालन सुनिश्चित करें। अन्यथा जल अधिनियम की धारा 41 (2) एवं वायु अधिनियम की धारा 37 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

(एस.एन. पाटिल)
मुख्य रसायनज्ञ एवं प्रभारी जिला–बुरहानपुर

(आर0 के0 गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर

पृ0क0 3217 /त0 शाखा/ 19

इन्दौर, दिनांक 08/11/19

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय, जिला–बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार खनिज लीज में उत्पादन कार्य बंद करवाने का कष्ट करें।
2. जिला खनिज अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, बुरहानपुर की ओर अग्रेसित कर वायु अधिनियम 1981 की धारा–31 क एवं जल अधिनियम 1974 की धारा–33 क के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा उक्त खनिज लीज में उत्पादन कार्य बंद करावे तथा प्रदत्त रॉयल्टी बुक भी जप्त करने का कष्ट करें। कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
3. गार्ड नस्ती।

(एस.एन. पाटिल)
मुख्य रसायनज्ञ एवं प्रभारी जिला–बुरहानपुर

(आर0 के0 गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर

O/C

क्षेत्रीय कार्यालय

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

स्कीम न. 78/सी, पार्ट 2, अरण्य, विजयनगर, इन्दौर–452010 (म.प्र.)
फोन : 0731 2555436; e-mail: romppcb_indore@rediffmail.com

क0 3214 /तक.शा./19 इन्दौर, दिनांक 08/11/19

प्रति,

1. श्री कैलाश रघुवंशी, संचालक,
मेसर्स रघु डेवलपर्स (स्टोन क्रेशर),
खसरा नं. 97/3, ग्राम–सुक्ताखुर्द, तहसील–नेपानगर,
जिला–बुरहानपुर

2. श्री कैलाश रघुवंशी, संचालक,
मेसर्स रघु डेवलपर्स (स्टोन क्रेशर),
निवासी मैन रोड़, दुर्गा नगर, विदिशा, जिला–विदिशा (म.प्र.)

विषय :– **जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33–क एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31–क के अंतर्गत निर्देश।**

संदर्भ :– **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित शिकायत पिटिशन क्रं. 771/19 एवं** इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 3084 दिनांक 21.10.2019 तथा आपका पत्र दिनांक 31.10.2019

उपरोक्त विषय के बारे में क्षेत्रीय कार्यालय, म0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन्दौर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है :–

1. यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत किया गया है तथा बोर्ड को जल अधिनियम के साथ–साथ वायु अधिनियम 1981 को राज्य में लागू करने का दायित्व सौंपा गया है।
2. यह कि, उद्योग को खसरा क्रं. 97/3 ग्राम–सुक्ताखुर्द में स्टोन क्रेशर से गिट्टी निर्माण हेतु, वायु अधिनियम 1981 की धारा 21 एवं जल अधिनियम 1974 की धारा 25/26 के अंतर्गत कॉमन कन्सेंट दिनांक 28.03.2019 को जारी की गई। इस सम्मति पत्र में अन्य शर्तों के साथ निम्नानुसार प्रमुख शर्तें रखी गई :–
   (1) The unit shall install appropriate air pollution control measures and shall keep all this in running condition to maintain SPM 600 Microgram/Cubic meter measured between 03 meters to 10 meters from any process equipments.
   (2) The unit shall have to install air pollution control measures as per the standards notified in E (P) Act 1986 for stone crushers.
   (3) The unit shall undertake plantation work in and around the industry for general improvement of environmental conditions.
   (4) The Industry/Unit shall make the necessary arrangements for control of fugitive emission from any source of emission/section/activities.
   (5) All the internal roads shall be made pakka to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements
3. यह कि संदर्भित शिकायत के संबंध में उद्योग का निरीक्षण बोर्ड के अधिकारी द्वारा दिनांक 16.10.2019 को किया गया तथा स्टोन क्रेशर उद्योग में निम्नानुसार जल एवं वायु सम्मति शर्तो का उल्लंघन पाया गया।
4. स्टोन क्रेशर में स्थापित किये गये विंड ब्रेकिंग वॉल स्थल पर नही होना पाई गई तथा क्रेशर का स्क्रीन जी.आई. शीट से कवर होना नही पाया गया। इसी प्रकार क्रेशर में स्थापित वॉटर स्प्रिंकलर सिस्टम भी जगह–जगह से टूटा होना एवं बंद होना पाया गया। इस प्रकार उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाऐं उपयुक्त नही है व यह वायु सम्मति शर्तो का उल्लंघन है।

5. उद्योग द्वारा स्थल में बोर्ड से पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर स्टोन सेंड निर्माण संयंत्र की स्थापना होना पाई गई तथा इससे उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु कोई व्यवस्था नही की गई है। यह *जल/वायु सम्मति शर्तो का उल्लंघन है।*
6. उद्योग की हाउसकीपिंग अच्छी नही पाई गई है। उपयुक्त वृक्षारोपण नही पाया गया तथा फिजिटिव उत्सर्जन रोकने हेतु व्यवस्थाऐं उपयुक्त नही पाई गई।
7. यह कि, उपरोक्त आधार पर आपको नियमानुसार संदर्भित पत्र दिनांक 21.10.2019 द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। आपका संदर्भित जवाब दिनांक 31.10.2019 प्राप्त हुआ। पत्र में आपने खदान एवं स्टोन केशर 15 जून 2019 से बंद होना सूचित किया है परन्तु सम्मति शर्तो के पालन के संबंध में संतोषजनक जवाब नही दिया गया है।
8. पुनः आपके उद्योग स्थल का निरीक्षण आपकी उपस्थिति में दिनांक 07.11.2019 को बोर्ड के 03 सदस्यीय दल द्वारा किया गया व केशर में उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का अभाव एवं जल/वायु सम्मति शर्तो का उल्लंघन पाया गया।

उपरोक्तानुसार बोर्ड अधिकारियों द्वारा दिनांक 07.11.2019 को की गई स्थल जांच के आधार पर आपका जवाब दिनांक 31.10.2019 विधि द्वारा बनाए गए मानदण्डों के पालन हेतु उपयुक्त नही पाया गया तथा उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में आपके द्वारा जल/वायु सम्मति शर्तो का उल्लंघन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में एतद् द्वारा बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) की धारा 31–क एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) की धारा 33–क के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :–

1. यह कि, स्टोन केशर निरंतर बंद रखा जावे।
2. यह कि, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, बुरहानपुर द्वारा उद्योग को प्रदायित विद्युत का विच्छेदन किया जावें।
3. जिला खनिज अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, बुरहानपुर द्वारा उत्पादन कार्य बंद कराया जावे एवं आपको प्रदत्त रॉयल्टी बुक जप्त कर ली जावे।

उपरोक्तानुसार जारी आदेश की पावती भेजे व आदेशों का पालन सुनिश्चित करें। अन्यथा जल अधिनियम की धारा 41 (2) एवं वायु अधिनियम की धारा 37 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

(एस.एन. पाटिल)
मुख्य रसायनज्ञ एवं प्रभारी जिला–बुरहानपुर

(आर0 के0 गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर

पृ0क्र0 3215 /त0 शाखा/ 19
इन्दौर, दिनांक 08/11/19

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय, जिला–बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार खनिज लीज में उत्पादन कार्य तथा स्टोन केशर बंद करवाने का कष्ट करें।
2. अधीक्षण यंत्री (ओ.एण्ड.एम.), म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. जिला–बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेसित कर वायु अधिनियम 1981 की धारा–31 क एवं जल अधिनियम 1974 की धारा–33 क के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा उक्त स्टोन कशर को प्रदत्त विद्युत विच्छेदन करने के निर्देश दिये जाते हैं। कृपया तत्काल विद्युत विच्छेदन कर कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
3. जिला खनिज अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, बुरहानपुर की ओर अग्रेसित कर वायु अधिनियम 1981 की धारा–31 क एवं जल अधिनियम 1974 की धारा–33 क के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेख है कि संस्था को प्रदत्त रॉयल्टी बुक जप्त कर कशर बंद कराया जाये तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. गार्ड नस्ती।

(एस.एन. पाटिल)
मुख्य रसायनज्ञ एवं प्रभारी जिला–बुरहानपुर

(आर0 के0 गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर

O/C

Annexure - 9

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर

क्रमांक/2175/खनिज/2019 बुरहानपुर, दिनांक 23/10/2019

म. प्र. प्रदूषण
आवक क्र. 3812
दिनांक 06/11/19
इंदौर

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय ,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर (म.प्र.)

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के प्रकरण क्र. 771/2019 द्वारा दिनांक 18.09.2019 को पारित आदेश बाबत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 2971 इंदौर दिनांक 05/10/2019

*****

उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्न शिकायत के संबंध में लेख है कि जिला बुरहानपुर के ग्राम सुक्ताखुर्द तहसील नेपानगर की निजी भूमि स्वामी द्वारा सहमति प्रदान करने पर ख.क्र. 97/3 रकबा 2.100 हेक्टे.पर पत्थर क्रेशर गिट्टी उत्खनिपट्टा दिनांक 23/07/2018 से 05 वर्ष की अवधि हेतु पट्टेदार मेसर्स रघु डेवलपर्स विदिशा को स्वीकृत/अनुबंधित किया गया है।

पट्टेदार मेसर्स रघु डेवलपर्स विदिशा को 05 वर्षो के लिये पत्थर निकालने एवं क्रेशर स्थापित कर गिट्टी निर्मित कर स्वंय के उपयोग/विक्रय हेतु की गई है। उक्त क्षेत्र में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्रेशर स्थापित किये जाने एवं पत्थर/गिट्टी उत्खनन उत्पादन मात्रा 24108.00 घ.मी. हेतु अनापत्ति प्रदान की गई है।

म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के तहत ग्राम सुक्ताखुर्द ख.क्र.97/3 कुल रकबा 2.580 हेक्टे. में तहसीलदार, वनविभाग, ग्राम पंचायत, खनि निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात नियमो में उल्लेखित प्रतिबंधित स्थलों से निर्धारित दूरी छोड़ने पर शेष उपलब्ध भाग रकबा 2.100 हेक्टे. क्रेशर गिट्टी उत्खनिपट्टा नियमानुसार पट्टेदार को स्वीकृत किया गया है। पट्टेदार द्वारा उक्त क्षेत्र का नियमानुसार सीमाकंन करवाकर स्वीकृत क्षेत्र के चारो ओर तार फेसिंग एवं पील्लर स्थापित किये गये है।

पट्टेदार मेसर्स रघु डेवलपर्स विदिशा को 05 वर्षो के लिये पत्थर निकालने एवं क्रेशर स्थापित कर गिट्टी निर्मित कर स्वंय के उपयोग/विक्रय हेतु म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियमानुसार पट्टेदार को स्वीकृत क्षेत्र से पत्थर/गिट्टी क्रेशर से उत्खनन कर स्वंय के कार्य में उपयोग हेतु एवं विक्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। पट्टेदार द्वारा नियमानुसार खनिज की रायल्टी जमा की जाती है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि पट्टेदार द्वारा

नियमो की अवेलहना कर आस-पास के ग्राम पंचायतो में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं ग्राम पंचायत में नाली एवं रोड़ निर्माण कार्यो में गौण खनिज गिट्टी का विक्रय किया जा रहा है। पट्टेदार को नियमानुसार गिट्टी का विक्रय करने पर कोई प्रतिबंध नही है।

शिकायत में उल्लेखित ग्राम धुलकोट में स्थापित आर.एम.सी. (रेडिमेंट कंक्रीट) प्लांट नियम विरूद्ध संचालित होने का लेख किया गया है। उक्त संबंध में गौण खनिज नियमो में खनिज विभाग द्वारा आर.एम.सी. (रेडिमेंट कंक्रीट) प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने का प्रावधान नही है।

इसी प्रकार शिकायत में रोड़ निर्माण ठेकेदार द्वारा वन क्षेत्र से रेत एवं मुरूम का उत्खनन कर निम्न गुणवत्ता की सामग्री रोड़ में उपयोग किये जाने का लेख किया गया है। वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन होने पर नियमानुसार वन विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है एवं संड़क निर्माण कार्य में उपयोगित होने वाली सामग्री के गुणवत्ता की जांच संबंधित निर्माण विभाग द्वारा किये जाने का प्रावधान है, खनि निरीक्षक बुरहानपुर द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: प्रतिवेदन आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

खनि अधिकारी
जिला-बुरहानपुर

Annexure-10

क्षेत्रीय कार्यालय
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
स्कीम न. 78/सी, पार्ट 2, अरण्य, विजयनगर, इन्दौर–452010 (म.प्र.)
फोन : 0731 2555436; e-mail: romppcb_indore@rediffmail.com

क्र0 3179 / क्षेकाइ/प्रनिबो/2019 इन्दौर, दिनांक 04/11/19

प्रति,

श्री कैलाश रघुवंशी, संचालक,
मेसर्स रघु डेवलपर्स,
ग्राम–धुलकूट, तहसील–नेपानगर,
जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)
मो. 9425431528

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली प्रकरण क्रमांक 771/2019 द्वारा दिनांक 18.09.2019 को पारित आदेश के संबंध में शिकायत स्थल पर उपस्थित होने बाबद।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली प्रकरण क्रमांक 771/2019 द्वारा दिनांक 18.09.2019 को पारित आदेश के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में जॉच हेतु क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा गठित दल द्वारा दिनांक 07.11.2019 को समय 11.30 बजे से शिकायत स्थल का निरीक्षण किया जाना है। इस हेतु आप शिकायत स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे।

(एस.एन. पाटिल)
मुख्य रसायनज्ञ
क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर

क्र0 3180 / क्षेकाइ/प्रनिबो/2019 इन्दौर, दिनांक 04/11/19

प्रतिलिपि :–

1. खनिज अधिकारी, खनिज विभाग, कार्यालय कलेक्टर, जिला–बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि जॉच दल के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का कष्ट करें।
2. श्री लक्ष्मण केल्दे, सर्व आदिवासी समाज विकास एवं सुधार समिति, आंचलिक कार्यालय, चौक बाजार, पंधाना, जिला–खण्डवा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर निवेदन है कि जॉच के दौरान शिकायत स्थल पर दिनांक 07.11.2019 को समय 11.30 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का कष्ट करें।

(एस.एन. पाटिल)
मुख्य रसायनज्ञ
क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर

O/C

Annexure II

पंचनामा

हम पंचगण सत्य सत्य तस्दीक करते है कि आज दिनांक 7-11-2019 को समय 2:10 P.M. पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के प्रकरण क्र. 771/2019 द्वारा दिनांक 18.9.2019 को पारित आदेश के पालनार्थ गठित दल म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन्दौर एवं खनिज विभाग बुरहानपुर द्वारा संयुक्त जांच की गई जांच दौरान ग्राम मुन्डी तह. नेपानगर जिला- बुरहानपुर के ख. क्र. 9713 की जांच कि गई जांच दौरान मौका स्थल पर पेढ़धार श्री कैलाश रघुवंशी उपस्थित थे जांच दिनांक के दिन खदान एवं क्रेशर प्लांट बंद होना पाया गया मौका खदान मे पानी भरा हुआ है।

पंचनामा लिखा पढ़ा सोचा समझा सो हस्ताक्षर किया

1. सतीश नागले (M.I. Burhanpur) [signature]
2. कैलाश रघुवंशी Prop- M/S रघुवंशी [illegible] Kailash
3. कोटवार [signature] 8770292200 सचिव ग्रा. पंचा. मुन्डी [illegible]
4. डॉ डी के वागेला 9827233136 Lab. Head MPPCB, Indore [signature] 7/11/19.
5. के.पी. सोनी EE MPPCB Indore [signature] 07/11/2019
6. एस. एम. पाटिल मुख्य रसायनज्ञ म.प्र.प्र.नि. बोर्ड इन्दौर [signature] 7.11.19